फर्द अहकाम
(नियम–26)
अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री मांगीलाल पिता हेमराज मेनारिया निवासी सतपुडा
बनाम
श्री भैरूलाल पिता हजारी जाट निवासी देवजी का खेड़ा हाल गागा जी का खेड़ा पोस्ट सतपुडा
कार्यवाही:–अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या 34/2015 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 4 ने दस्तावेज पेश किए। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी नम्बर 389/4 किता 1 रकबा 1.50 हैक्टेयर का विक्रय इकरार अनुबंध दिनांक 25.02.2015 को अपीलांट के पक्ष में किया। उक्त इकरार पेटे विपक्षी संख्या 1 ने अपीलांट से 5.00 लाख रूपये नकद राशि प्राप्त किए उसके बावजूद विपक्षी संख्या 1 ने विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2015 को विपक्षी संख्या 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित करा पंजीकृत करा दिया जिसके खिलाफ अपीलांट ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में वाद दायर कर दिया जिसके प्रकरण संख्या 08/15 सी.ओ. एवं 23/15 सी.एम. है तथा इस आराजीयात के संबंध में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थगन आदेश पारित कर रखा है और उक्त वाद में तहसीलदार स्वयं पक्षकार है व स्थगन की जानकारी होते हुए भी विपक्षी संख्या 2 से 4 के पक्ष में उक्त आराजीयात का नामान्तरण खोल दिया। अतः उक्त नामान्तरण खारीज किया जावे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 4 का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी संख्या 1 ने अपीलांट से कोई विक्रय राशि प्राप्त नहीं की है और न ही कोई अनुबन्ध किया है बल्कि विपक्षी संख्या 1 भैरूलाल ने दिनांक 09.04.2015 को विपक्षी संख्या 2 से 4 के पक्ष में उक्त आराजीयात का विक्रय कर विक्रय पत्र विधि अनुसार पंजीयन कराया है जिसके आधार पर आराजी नम्बर 389/4 के विपक्षी संख्या 2 से 4 खातेदार बने और रेवेन्यू रेकार्ड में इंतकाल संख्या 622 के जरिये नाम दर्ज हुआ। अपीलांट ने विधि–विरूद्ध दस्तावेज के आधार पर न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में वाद पेश किया है जिसमें न्यायालय द्वारा इंतकाल नहीं खोलने एवं रेवेन्यू रेकार्ड में खातेदार के रूप मे नाम दर्ज नहीं करने के लिए किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है बल्कि उक्त आराजीयात को अन्य किसी भी व्यक्ति को व्ययन ना करने अर्थात् विक्रय ना करने हेतु ही स्थगन जारी किया हुआ है इस प्रकार उक्त आराजीयात के संबंध में पूर्व में ही न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ में प्रकरण विचाराधीन है जो कि वर्तमान में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 चित्तौड़गढ़ में अभी भी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगातार

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

लम्बित होने से उक्त अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से अपील खारीज फरमावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध ग्राम सतपुडा की आराजी नम्बर 389/4 रकबा 1.50 है. भूमि के नामान्तरण के संबंध में इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विपक्षीगण के विरूद्ध ग्राम सतपुडा की इसी आराजी संख्या 389/4 रकबा 1.50 हैक्टेयर भूमि के विक्रय इकरार के संबंध में माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ में पूर्व में ही वाद पेश कर रखा है जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन होकर माननीय न्यायालय ने प्रकरण संख्या CM(41) 16/16 में निर्णय दिनांक 21.11.16 से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है।

चूंकि इसी विवाद्य–विषय/विवादित आराजी नम्बर 389/4 रकबा 1.50 है. भूमि से संबंधित प्रकरण पूर्व में ही माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन होने से उक्त अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 के तहत स्थगित की जाती है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official